ेत्रीय वाहक द्वारा

प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 931 /क्रय/जनरल/(2121-0408)/2016/ कालक्र/ दिनांक 31 /12/2016

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता(क्षेत्र),
उ0प्र0 जल निगम,
लखनऊ/गोरखपुर/फैजाबाद/इलाहाबाद/वाराणसी/झांसी,
कानपुर/आगरा/गाजियाबाद/मुरादाबाद ।

विषयः- केन्द्रीयकृत सामग्री की गुणता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(क्रय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्र सं0 22/पीसी/जनरल/(2121-052)/16/01, दिनांक 04.01.2016 एवं अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0 2361/पीसी/जनरल/(2121-052)/16/95, दिनांक 24.09.2016 का कृपया सन्दर्भ करें, जिसके द्वारा आपको सामग्री की गुणता सुनिश्चित करने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों में निम्न कार्यवाही करवाने हेतु अनुरोध किया गया था :

1. प्रत्येक सामग्री की आपूर्तित हर पाँच ट्रक में से एक ट्रक का स्टोर पर पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण, उस सामग्री का प्री-डिलीवरी निरीक्षण करने वाली फर्म से अवश्य कराया जाये । पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण में उपस्थित होने के लिये फर्म के प्रतिनिधि को पत्र प्राप्ति से 10 दिन का समय दिया जाये, अन्यथा की स्थिति में कन्साइनी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में सामग्री का पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण करा लिया जाये । कृपया अपने अधीनस्थ अधिशासी अभियन्ताओं को यह भी निर्देशित करें कि पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण लाट का चयन इस प्रकार किया जाये कि सामग्री की आपूर्ति करने वाली प्रत्येक फर्म की सामग्री का पोस्ट डिलीवरी निरीक्षण हो जाये ।

2. क्रय अनुभाग के अनुबन्धों में यह प्राविधान है कि आवश्यकतानुसार कन्साइनी, आपूर्तिकर्ता फर्म के प्रतिनिधि की उपस्थिति में नमूना एकत्र करवाकर इसकी जाँच करवा सकते हैं । आपूर्तिकर्ता को नमूना एकत्र करने हेतु अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर सुनिश्चित करनी होगी । अन्यथा की स्थिति में कन्साइनी द्वारा स्वयं नमूना एकत्र करवा कर इसका परीक्षण करवा लिया जायेगा ।

आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यालयों में करवाने का कष्ट करें, जिससे मानक के अनुरुप उचित गुणता की सामग्री प्राप्त होती रहे ।

भवदीय,

31/12/2016
(समीर गोविल)
सामग्री प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम ।
2. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

31/12/2016
सामग्री प्रबन्धक

31/12/16